

कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ शासन, राजस्व आपदा प्रबंध विभाग  
--: अधिसूचना :-

दिनांक 26-8-2019  
जुलाई, 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 39/अ-82/17-18 चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित निजी भूमि कोसमघाट जलाशय योजनान्तर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम पुरी की प्रभावित निजी भूमि भू-अर्जन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधियिम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन:-

1. जिला-
2. तहसील-
3. नगर/ग्राम-
4. क्षेत्रफल-

रायगढ  
घरघोडा  
पुरी  
5.982 हे०

खसरा नंबर	रकबा (हे०में)	खसरा नंबर	रकबा (हे०में)
40	0.255	166/21	0.214
166/4	0.405	169	1.465
166/12	1.214	170	0.790
166/14	0.809	171	0.405
166/20	0.020	173	0.405
कुल खसरा नंबर 10		कुल रकबा 5.982 हे०	

5. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (स्व) घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
6. उक्त भूमि अर्जन में किसी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ के राज्य के नाम से तथा  
आदेशानुसार

(यशवंत कुमार)  
कलेक्टर, रायगढ

एवं पदेन उप सचिव छ०ग०शासन  
राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ शासन, राजस्व आपदा प्रबंध विभाग  
--: अधिसूचना :-

दिनांक 26-08-2019  
जुलाई, 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 37/अ-82/17-18 चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित निजी भूमि कोसमघाट जलाशय योजनान्तर्गत बांयी तट में ग्राम कुडुमकेला में प्रभावित निजी भूमि भू-अर्जन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधियिम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन:-

1. जिला-
2. तहसील-
3. नगर/ग्राम-
4. क्षेत्रफल-

रायगढ

घरघोडा

कुडुमकेला

2.710 हे०

खसरा नंबर	रकबा (हे०में)	खसरा नंबर	रकबा (हे०में)
133/1ख/5	0.032	149/9, 143/10, 143/14, 147/2	0.081
133/2ख	0.024	155/1	0.048
133/1प	0.134	159/1	0.024
133/1क/11/2	0.096	152/2	0.040
133/1क/3	0.186	224/5	0.061
133/2क	0.150	224/6	0.044
133/4	0.024	224/1	0.101
133/3 घ	0.085	154	0.154
134	0.132	159/2	0.012
141/1	0.102	159/3	0.008
141/7	0.282	155/3	0.020
141/10	0.040	159/4	0.020
141/6	0.101	153/2	0.008
141/3	0.108	223	0.142
141/4	0.020	141/6/1	0.081
152/1	0.121	141/6/2	0.012
150	0.081	141/7/2क	0.040
-	-	133/1क/11/1	0.096
कुल खसरा नंबर 38		कुल रकबा 2.710 हे०	

5. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोडा के कार्यालय में किया जा सकता है।
6. उक्त भूमि अर्जन में किसी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ के राज्य के नाम से तथा  
आदेशानुसार

(यशवंत कुमार)

कलेक्टर, रायगढ

एवं पदेन उप सचिव छ०ग०शासन  
राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंध विभाग



कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ शासन, राजस्व आपदा प्रबंध विभाग  
-: अधिसूचना :-

दिनांक 26-8-2019  
जुलाई, 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 38/अ-82/17-18 चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित निजी भूमि कोसमघाट जलाशय योजनान्तर्गत दांयी तट में ग्राम कुडुमकेला में प्रभावित निजी भूमि भू-अर्जन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधियिम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन:-

1. जिला-
2. तहसील-
3. नगर/ग्राम-
4. क्षेत्रफल-

रायगढ  
घरघोडा  
कुडुमकेला  
1.563 हे०

खसरा नंबर	रकबा (हे०में)	खसरा नंबर	रकबा (हे०में)
133/1ख/5	0.059	133/6/ख 141/1/क 143/3/ख	0.008
133/1/प/5	0.120	133/6 ख 141/1ख 143/3/ख	0.042
133/1/ख/3	0.168	143/4	0.008
133/1/क/3	0.168	133/4	0.121
133/1/फ	0.176	133/9	0.312
133/2क	0.121	141/1	0.102
133/2ख	0.012	142/1क	0.146
कुल खसरा नंबर 14		कुल रकबा 1.563 हे०	

5. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोडा के कार्यालय में किया जा सकता है।
6. उक्त भूमि अर्जन में किसी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ के राज्य के नाम से तथा  
आदेशानुसार

(यशवंत कुमार)  
कलेक्टर, रायगढ

एवं पदेन उप सचिव छ०ग०शासन  
राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग